**न्यायालयः–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डॉ अम्बेडकर नगर जिला–इंदौर म.प्र.**

**आई.ए. नंबर 04 / 2021**
सत्र प्रकरण क्रमांक–71 / 2021
थाना डॉ. अम्बेडकर नगर का अप. कं–233 / 2021
अपराध धारा–420, 406, 467, 468, 471, 34 भा.द.सं.

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र डॉ. अम्बेडकर नगर,
तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर
..... राज्य

विरूद्ध

अभिषेक पिता मनोहर सिंह,
उम्र– 32 वर्ष,
निवासी–ग्राम केलोद महू,
जिला इंदौर म.प्र.
..... आरोपी

**–: आदेश :–**

**12.01.2022**

अभियोजन द्वारा श्री दिनेश पंचोली अपर लोक अभियोजक।

अभियुक्त देवेन्द्र व रितेश उपजेल महू से व्ही.सी. के माध्यम से पेश वारंट प्राप्त द्वारा श्री शहजाद खान अधिवक्ता उप.।

अभियुक्त दीपक उपजेल महू से व्ही.सी. के माध्यम से पेश वारंट प्राप्त द्वारा श्री चेतन शर्मा अधिवक्ता उप.।

अभियुक्त श्यामसिंह उपजेल महू से व्ही.सी. के माध्यम से पेश वारंट प्राप्त द्वारा श्री आशुतोष शुक्ला अधिवक्ता।

अभियुक्त अभिषेक उपजेल महू से व्ही.सी. के माध्यम से पेश वारंट प्राप्त द्वारा श्री मुश्ताक खान अधिवक्ता उप.।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत है।

अभियुक्त अभिषेक की ओर से श्री मुश्ताक खान अधिवक्ता ने मेमो पेश कर एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. मय शपथपत्र पेश किया।

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-5.pdf

आवेदन की प्रति अभियोजन को उपलब्ध करायी गयी।

आवेदन पत्र को सी.आई.एस. साफ्टवेयर में आई.ए.नंबर 04 पर दर्ज किया गया।

आरोपी अभिषेक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र **<u>प्रथम जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0</u>** है, के समर्थन में शपथकर्ता मनोहर सिंह पिता मानसिंह का शपथ पत्र पेश किया गया है। शपथपत्र के अनुसार पूर्व में इस न्यायालय या माननीय वरिष्ठ न्यायालयों में जमानत हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, न ही निराकृत हुआ है और न ही विचाराधीन है।

आवेदन पर आरोपी अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना गया।

अभियुक्त अभिषेक के आवेदन पत्र के अनुसार आरोपी निर्दोष है, रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। कोई अपराध नहीं किया है। अपराध से कोई संबंध नहीं है। चोरी का वाहन चलाने का आरोप पुलिस द्वारा लगाया गया है। आरोपी द्वारा किसी प्रकार की लिखापढी या किसी दस्तावेजों में कोई हेर–फेर नहीं की गयी है। प्रथम सूचना अनुसार आरोपी द्वारा उक्त वाहन को चलाया जाना बताया गया है। जब्ती आदि शेष नहीं रह गयी है। अभियोग पत्र पेश हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अधिक समय जेल में रहने से परिवार की भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। आदतन अपराधी न होकर निर्दोष है। अन्य आरोपी दीपक की माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा एम.सी.आर.सी. क्र. 56088/2021 दिनांक 04.01.2022 को जमानत स्वीकार की गयी है। आरोपी का अपराध भी सहआरोपी से भिन्न नहीं है। मजदूरी का कार्य कर परिवार का भरण–पोषण करता है। परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। अभियोजन साक्षियों को

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-5.pdf

प्रभावित नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा। योग्य जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रत्यर्थी/अनावेदक राज्य की ओर से श्री दिनेश पंचोली अपर लोक अभियोजक द्वारा घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

आवेदन पर विचार हेतु सत्र प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आरोपी के विरूद्ध सहअभियुक्तगण सहित आरक्षी केन्द्र महू के अपराध क्रमांक 233/2021 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 34 भा.दं.सं. के तहत पंजीबद्ध होकर अभियोग पत्र पेश होकर उपार्पण पर प्राप्त होकर विचाराधीन है। फरियादी राजू द्वारा लिखित शिकायत की गयी कि उसकी स्विफ्ट डिजाइर कार क्रमांक एम.पी. 09 टी.ए. 9316 को दिनांक 04.03.2021 को देवन्द्र एवं उसके साथी श्यामसिंह, दीपक रघुवंशी, रितेश वर्मा को किराये से टेक्सी में चलाने के लिए अनुबंध कर प्रतिमाह 30,000/—रूपये के हिसाब से दी थी। अनुबंध देवेन्द्र ठाकुर के नाम से लेख किया था परंतु देवेन्द्र ठाकुर द्वारा किराये के एवज में कोई राशि नहीं दी, वापिस लेने गया तो बोला तुम्हारी गाड़ी को कूट रचित हस्ताक्षर बनाकर महेश रघुवंशी को दो लाख रूपये में गिरवी रख दिया। महेश रघुवंशी से संपर्क किया तो बताया कि गाड़ी देवेन्द्र ने गिरवी रखी है दो लाख रूपये दे देगा तो वापिस कर दूंगा। इसी तरह सादिक खान की स्वीफ्ट डिजायर क्र. डी.एल. 04 सी.ए. 5276, नवाब शाह की स्वीफ्ट क्र. एम.पी. 09 सी.टी. 2542, इमरान खान की ईको क्र. एम.पी.09 सी.के. 8642, जयंतीलाल गुर्जर की स्वीफ्ट क्र. एम.पी. 09 सी.ई. 0517, फारूख शाह की अर्टीगा क्र. एम.पी. 09 सी.एम. 6514, सुरेन्द्र की अर्टिगा कार क्र. एम.एच. 04 जी.डी. 5840, निधि कपूर की स्वीफ्ट कार क्र. एम.

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-5.pdf

पी. 04 एल.ए. 9900, महेश की एस प्रेसो क्र. एम.पी. 09 डब्ल्यु. जी. 1911 प्रथम चरण सोनगरा की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 डब्ल्यु. जी. 7266, जितेन्द्र रघुवंशी की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 सी.वाय. 7012 टीयागो कार क्र. एम.पी. 09 सी.वाय. 2115 व अर्टिगा कार क्र. एम.पी. 09 सी.टी. 3811, आसिफ अली की आई टेन कार क्र. एम.पी. 16 सी.बी. 2798, जितेन्द्र गोयल की टाटा इंडिगो कार क्र. एम.पी. 09 सी.पी. 9388, मनीष चौहान की स्वीफ्ट डिजायर कार क्र. एम.पी. 09 सी.एन. 2139 निलेश की झायलो कार क्र. एम.पी. 04 बी.ए. 5043, फारूख खान की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 सी.आर. 7573, विक्की देशवाल की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 सी.डी. 8767 के किराये अनुबंध बनाकर अन्य व्यक्तियों को कूट रचित दस्तावेज बनाकर गिरवी रख दिया। फरियादी की शिकायत पर से सहअभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध होकर अन्वेषण के दौरान सहअभियुक्त देवेन्द्र के मेमोरण्डम कथन के आधार पर आरोपी अभिषेक को प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। आरोपी अभिषेक का मेमोरेण्डम कथन धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत लेख किया गया और आरोपी अभिषेक द्वारा दी गयी जानकारी के आधार एक वाहन जप्त होना जप्ती पत्रक से दर्शित है।

आरोपी के विरूद्ध सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादिया के अलावा अनेक व्यक्त्यिों से वाहन किराये पर लेने का अनुबंध कर किराया अदा न कर वाहनों को फर्जी दस्तावेज तैयार कर गिरवी रख कर छल और कूट रचना करने का आक्षेप है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर से प्राप्त एम.सी.आर.सी. नंबर 56088/2021 में पारित दिनांक 04.01.2022 के द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया सहअभियुक्त देवेन्द्र ठाकुर के विरूद्ध आक्षेप होने और कोई दस्तावेज नाम से दर्शित न

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-5.pdf

होने और अनुसंधान पूर्ण होने व अभियोग पत्र पेश होने के आधार पर जमानत आवेदन स्वीकार किया गया है तथा सहअभियुक्त श्यामसिंह का जमानत आवेदन आई.ए.नंबर 03 दिनांक 08.01.2022 को स्वीकार किया गया है। अभिलेख पर संकलित साक्ष्य से आरोपी का कृत्य भी जमानत प्राप्त उक्त सहअभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। उक्त तथ्य, परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने उपरांत आरोपी को भी समानता के आधार पर जमानत प्राप्त सहअभियुक्तगण पर अधिरोपित शर्तों पर नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आरोपी **अभिषेक पिता मनोहर सिंह** की ओर से प्रस्तुत **प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 (आई.ए.नंबर 04) स्वीकार** कर आदेशित किया जाता है कि आरोपी अभिषेक द्वारा **50,000/– रूपये (पचास हजार)** की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किये जाने पर आरोपी को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर छोड़ा जावेः–

1– आरोपी प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

2– आरोपी जमानत पर मुक्त होने पर साक्षीगण को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेगा।

3– **यदि यह पाया जाता है कि आरोपी विचारण के दौरान किसी अन्य प्रकरण में संलिप्त पाया जाता है तब यह जमानत आदेश स्वमेव निरस्त समझा जायेगा।**

आरोप तर्क हेतु समय चाहा, न्यायहित में समय दिया गया। प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 27.01.2022 को पेश हो।

**हस्ता/–**

(श्रीमती शशि सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
डा. अम्बेडकरनगर जिला इंदौर म.प्र.

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-5.pdf